रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-27082024-256683
CG-BR-E-27082024-256683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946
No. 666] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

अधिसूचना

मुजफ्फरपुर, 22 अगस्त, 2024

प्र•का•/म•सं•वि•/17/24–25/1151.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल, प्रायोजक बैंक होने के नाते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और राष्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः–

1. (1) इन विनियमों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा ।

(2) ये संशोधन, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगें ।

2. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 61 के उप–विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप–विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

"(4) विशेशाधिकार अवकाश 270 दिनों से अधिक तक का नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया होः

बशर्ते कि विशेशाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिन के लिए ही किया जा सकेगा ।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 67 के,–

क) दूसरे प्रावधान में, "बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त" शब्दों के बाद, "विनियमन 11 के प्रावधानों के अंतर्गत" शब्द सम्मिलित किए जाएंगें;

ख) तीसरे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, यथाः–

"यह भी प्रावधान किया जाता है कि उस कर्मचारी के संबंध में जिसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त कर दी जाती है, वह विशेशाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो उसने विनियमन 61 के उप–विनियमन (4) के अधीन जमा कर रखा था ।"

ग) तीसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा,–

"यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी का नाम) पेंशन विनियम, 2018 के विनियम 27 के उप–विनियम (1) और (2) के तहत विधिवत् नोटिस देने के बाद अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपने द्वारा विनियम 61 के उप–विनियम (4) के अधीन संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, जिसमें दंड भी शामिल है, वह विनियमन 61 के उप–विनियम (4) के अधीन, किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या काम पर आना बंद कर देता है या विनियम 10 के उप–विनियमन (1) के प्रावधानों के तहत पदत्याग कर देता है, तो वह सेवा की समाप्ति की तिथि को उसके खाते में जमा विशेषाधिकार छुट्टी की आधी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यह अवधि अधिकतम 120 दिन तक की ही हो सकती है।"

सोहैल अहमद, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./437/2024-25]

नोट : उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2010 को दिनांक, अगस्त 12 2010 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 23 अक्तूबर 2010 की अधिसूचना संख्या 43 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक मार्च 11 2016 की अधिसूचना संख्या 91 द्वारा संशोधित किया गया था ।

UTTAR BIHAR GRAMIN BANK

NOTIFICATION

Muzaffarpur, the 22nd August, 2024

HO/HRD/17/24-25/1151.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with sub-section (1) of Section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Uttar Bihar Gramin Bank after consultation with Central Bank of India, being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Uttar Bihar Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These Regulations may be called Uttar Bihar Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Uttar Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as said regulations), in the regulations 61 for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days, except where leave has been applied for and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days."

3. In the said regulations, in regulation 67,-

(a) In second proviso, after the words "retires from the service of the Bank", the words "under the provisions of regulation 11" shall be inserted;

(b) For third Proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61."

(c) After third proviso, the following provisos shall be inserted, namely,-

"Provided also that where an officer or employee voluntarily retires from service on or after the 1st of April 2018, after giving due notice under sub- regulations (1) and (2) of regulation 27 of the Uttar Bihar Gramin Bank (Employees')

Pension Regulations, 2018, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee leaves or discontinues from service or resigns under the provisions of sub-regulation (1) of regulation 10, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days."

SOHAIL AHMAD, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./437/2024-25]

Note : The Uttar Bihar Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 were published in the Gazette of India, Part III, section 4, dated the August 12, 2010, vide notification number 43 dated the October 23, 2010 and subsequently amended vide notification number 91 dated the March 11, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.08.27 23:13:38 +05'30'